प्रभात खबर e-paper

Wednesday, January 04, 2012
Patna Page 2

A A << Back to Headlines

लोकायुक्त कानून प्रभावी नियमावली होगी जारी

पटना : सूबे में लोकायुक्त कानून प्रभावी हो गया है वतमान लोकायुक्त सीएम प्रसाद संस्था के अध्यषा होंगे संस्था के दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जायेगी इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है लोकायुक्त सदस्यों के चयन का काम विधान परिषद के सभापति की अध्यषाता वाली चयन समिति को करना है चयन समिति में विधानसभा के अध्यषा और पटना हाइकोट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित दो वरीय न्यायाधीश होंगे आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकायुक्त के दो सदस्यों में कम-से-कम एक न्यायिक षोत्र से होंगे प्रावधान के मुताबिक शेष एक सदस्य के रूप में किसी भी स्थिति में राजनीतिक दल से संबंध रखनेवालों को जगह नहीं दी जायेगी राह्लय सरकार द्वारा तैयार किये गये लोकायुक्त व्यवस्था में आरषाण की व्यवस्था नहीं की गयी है विधानमंडल से शीतकालीन सत्र में सहमति मिलने के बाद विधेयक को राह्लय की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था 21 दिसंबर को राह्लयपाल ने विधेयक को मंजूरी दी थी

<< Back to Headlines A A